

फॉरेंसिक जाँच के लिये अधिकृत किये गए स्टॉक एक्सचेंज

चर्चा में क्यों?

- भारतीय प्रतभूता एवं वनिमिय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक एक्सचेंजों को संदग्धि सूचीबद्ध कंपनियों के खिलाफ फॉरेंसिक जाँच करने के लिये अधिकृत कर दिया है।
- वदिति हो कइिन संदग्धि कंपनियों का इस्तेमाल शेयर बाज़ार में अवैध फंड प्रवाह के लिये एक माध्यम के तौर पर कथिा जाता रहा है।
- इस संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचति कर दिया गया है कइिे ऐसी कंपनियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान ले सकते हैं।

स्टॉक एक्सचेंजों को क्यों दिया गया है यह अधिकार?

- दरअसल, सेबी के सतर्कता वभिाग ने स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिये इस तरह के अवैध फंड प्रवाह को नयितरति करने के तौर-तरीकों पर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ व्यापक चर्चा की थी।
- सेबी चाहता है कइि स्टॉक एक्सचेंज संदग्धि कंपनियों की साप्ताहकि आधार पर समीक्षा करें और उसके आधार पर फॉरेंसिक ऑडिट के लिये इनका चयन करें। उल्लेखनीय है कइि वर्तमान में एक्सचेंजों के पास स्वयं फॉरेंसिक ऑडिट करने का अधिकार नहीं है।

क्या है फॉरेंसिक ऑडिट?

- फॉरेंसिक ऑडिट, जाँच प्रक्रिया का हसिा है जसिमें कंपनी के वत्तीय वविरण की नयिमति जाँच के दौरान अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों का ही इस्तेमाल कथिा जाता है।
- लेकनि, फॉरेंसिक ऑडिट में धोखाधड़ी की आशंकाओं के बीच कसिी कंपनी के वत्तीय वविरण की जाँच या मूल्यांकन के लिये एक नश्चति अवधि के दौरान हुए सभी लेनदेन की जानकारी जुटाई जाती है।

क्या होगा प्रभाव?

- फॉरेंसिक ऑडिट का अधिकार मलिने की बाद संदग्धि कंपनियों पर लगाम लगाने के लिये एक्सचेंज अब संबंधति कंपनी को ऑडिट प्रमाण-पत्र सौपने का नरिदेश दे सकता है।
- साथ ही कंपनी को तीन साल के सालाना इनकम-टैक्स रटिरन और लंबति कर वविादों की जानकारी आदि के बारे में भी जानकारयिाँ मांग सकता है। एक्सचेंज ऐसी कसिी संदग्धि कंपनी के बज़िनेस मॉडल की समीक्षा भी कर सकेंगे।

क्यों महत्त्वपूर्ण है यह पहल?

- सेबी द्वारा हाल ही में 332 संदग्धि एवं फरजी कंपनियों के खिलाफ प्रतबिंध लगा दिया गया था। मौजूदा समय में स्टॉक एक्सचेंज कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई 331 संदग्धि कंपनियों की सूची में से कम से कम 90 की फॉरेंसिक जाँच करने के लिये फॉरेंसिक वशिषज्जों की नयिकृती की प्रक्रिया में हैं।
- वदिति हो कइि सेबी ने इन सभी कंपनियों को दैनकि कारोबार से प्रतबिंधति कर दिया था। हालाँकि, कुछ कंपनियिाँ प्रतभूता एवं अपीलीय प्राधकिरण से आंशकि तौर पर राहत पाने में कामयाब हो गई हैं।
- 331 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नोटबंदी के दौरान उनके व्यापार में देखी गई संदग्धि तेज़ी के बाद की गई थी, जबकइि कई कंपनियों को नयिमकीय और आयकर नयिमों के उल्लंघन में लपित पाए जाने के बाद कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।